

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2023-24/128

दिनांक: 05.6.2023

मैसर्स संकल्प इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड,
जरिये निदेशक श्री विकास जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन
प्लॉट न. ई-123, 124, आई.ओ.सी. पेट्रोल पम्प के पीछे,
सहकार मार्ग, जयपुर।

विषय:- व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-251/G-2 मैसर्स संकल्प इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड (क्षेत्रफल 3587.91 वर्ग मीटर) सेक्टर-25, जोन-251, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के 40.00 मीटर से 50.37 मीटर ऊंचाई के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय के पत्र क्रमांक अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2021-22/215 दिनांक 18.08.2021 द्वारा 1.20 मी. (प्लिन्थ) + 39.73 मीटर (3 बेसमेंट + लोअर ग्राउण्ड + भूतल + 12 तल) कुल 40.93 मीटर ऊंचाई की निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी।

वर्तमान में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(75)नविनि/राआम/2022 दिनांक 25.05.2023 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में (13वीं मंजिल से 16वीं मंजिल) 50.37 मीटर ऊंचाई + 7.70 मीटर (ममटी/मशीन रूम/वाटर टैंक) कुल 58.07 मीटर ऊंचाई की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट:- अन्य नियम व शर्तें कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2021-22/215 दिनांक 18.08.2021 अनुसार यथावत रहेगी।

संलग्न :- अनुमोदित भवन मानचित्र का एक सैट।

भवदीय


(अनिल माथुर)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बारह, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।
4. रक्षित पत्रावली।

/

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

TITLE:-

70.85

ENTRY

AREA STATEMENT PROPOSED 1st PHASE								
FLOOR	BLOCK	CUT OUT	LIFT C/T	G.B.U.A	FIRE ESCAPE	BAR	C/WB	
1st BASEMENT FLOOR	2694.49	0.00	26.88	2657.61	0.00	0.00		
2nd BASEMENT FLOOR	2679.01	0.00	26.88	2652.13	0.00	0.00		
1st BASEMENT FLOOR	2679.01	0.00	26.88	2652.13	0.00	0.00		
LOWER GROUND	1706.18	156.72	26.88	1522.58	18.12	1504.46		
GROUND FLOOR	1806.02	211.32	26.88	1367.92	51.84	1315.08		
1st FLOOR	1883.91	156.72	26.88	1500.31	69.18	1431.13		
2nd FLOOR	1714.83	156.72	26.88	1531.23	69.18	1465.69		
3rd FLOOR	1714.98	156.72	26.88	1531.28	69.18	1465.20		
4th FLOOR	1481.60	0.00	12.98	1418.95	38.89	992.33	440.83	
5th FLOOR	1509.37	49.04	12.98	1447.35	38.89	1405.46		
6th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
7th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
8th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
9th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
10th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
11th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
12th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
13th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
14th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
15th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
16th FLOOR	1522.06	49.04	12.98	1460.04	38.89	1421.15		
TER.FLOOR	65.49	0.00		65.49		0.00		
TOTAL	36228.08		383.75	34417.72	783.17	25166.16		

PLOT AREA		3587.91	SQ. MTS.
TOTAL PER B.A.R.	2	7175.82	
TOTAL CONSUMED B.A.R.	7.011	25156.16	
PROVIDED COMMERCIAL B.A.R.	2.00	7175.82	SQ. MTS.
PROVIDED RESIDENTIAL B.A.R.	5.01	17980.34	SQ. MTS.
REQ. RESIDENTIAL GREEN PLOT AREA		71.47	SQ. MTS.
		2564.46	SQ. MTS.
REQ. GREEN	10.00%	256.45	
PRO. GREEN	10.29	264	
ACH. COVERAGE	38.13		

COMMERCIAL PARKING			
REQ. E.C.U.		95.63	E.C.U.
25% VISTORS PAR.		23.91	E.C.U.
TOTAL		119.60	E.C.U.

TOTAL REQ. PARK			315.04	
	CAR	75%	236	
	SCOOTER	25%	79	236
PROVIDED PARKING				
	CAR	SCOOTER	PUZZLE	
GROUND FLOOR	11	11	0	
1ST BASEMENT	73	83	0	
2ND BASEMENT	73	78		
3RD BASEMENT	80	66	0	
TOTAL	237	238		
TOTAL CAR PARKING = 237				

SCALE:- 1 = 100

DATE : 29-05-2023

PROJECT:-

NORTH :

PROPOSED PLAN OF COMMERCIAL PLOT
NO. 251/G-2 AT PRATAP NAGAR,
SANGANER, JAIPUR

ARCHITECTS:-
J J ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS
100 SQUARE, E-123, 124, BEHIND ICC PETROL PUMP
AHKAR MARG, JAIPUR
TEL (0141) 274007, 274008/9, TEL/FAX (0141) 274009

CHITECTS
Consulting Architect
VIKAS JAIN
B-Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design)
CAJ/2000/26735

For SANKALP INFRAHEIGHTS PVT. LTD.

यह मानचित्र पत्र सं० 128
दि० 05/6/22 के द्वारा जारी किये गये।

Sreeni Tal's
Director

LVL. ± 0.0

MAHAL ROAD 60 M WIDE

R6.00

HALDI GHATI MARG 60M WIDE

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

जाहरी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र—नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमनकारी विभाग

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जले, मल निवास सेवाएँ नेशनल विलडिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंधा के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित नवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मजिदों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अगल शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनुरोध प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन गण्डल कांमलय से अनुरोध प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अथवा यह संकेतित 16 मीटर ऊँचाई तक की मान्य होगी।

The diagram illustrates the water harvesting details for a building. It shows a cross-section of the roof and foundation. Key components include:

- IRON JALI**: A metal screen at the roof level.
- GROUND LVL**: The ground level line.
- STONE FISSURES**: Cracks in the masonry that allow water to seep through.
- MANHOLE COVER**: A cover for the collection pit.
- 1st PIT**: The first collection pit.
- 2nd PIT**: The second collection pit.
- PERFORATED CASING PIPE**: A pipe with holes that allows water to enter the foundation.
- BASE WALL**: The foundation wall.
- FLOW**: An arrow indicating the direction of water movement from the roof, through the pits, and into the foundation.

WATER HARVESTING DETAILS

वाकिंग क्षेत्र का उपयोग केवल
वाकिंग हेतु किया जाएगा।

"किसी भी भी अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये मूल निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का वाकिंग प्रारंभ
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

SHEET NO. - 02

TITLE:-
3rd BASEMENT FLOOR

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रति
प्रस्ताव बुद्धि/पुनरावलोकन के प्रति प्रतिबद्धता का
अभाव है। यह मानचित्र केवल वाकिंग और मूल
इसमें किसी भी संशोधन सम्बन्धी जवाबदारी
ही प्रदर्शित होगी।

मशीनरी कम से निकलना वाकिंग क्षेत्र के
लिए विशेष दुर्घटना का प्रभाव
निम्नानुसार किया जाये।

तीसरे ऊपर से पानी गरम करने का
निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाये।

विद्युत सेवा मास्टर रेल पर कर रहे हैं कि
सेवा के मास्टर रिलिंग और और इन्वर्टर
के ऊपर से अनुमोदित होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित कम 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का
निर्माण शुरू करने से पूर्व भूगर्भ और जल
अवस्था का अध्ययन कर लिया जाये। अन्यथा
पत्र (100) सेवा क्षेत्र तथा आसपास के
कमलों में अचानक जल पत्र (100) प्रवाह
की जायेगी। अन्यथा पत्र (100) प्रवाह
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

Harshad
25/12/23
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मंत्रालय
जयपुर

Sankalp
25/12/23
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मंत्रालय
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 128
दि. 25/12/23 के द्वारा जारी किया गया है।

3rd BASEMENT FLOOR

SCALE:- 1/4"=1'-0" DATE:- 23-12-2023

PROJECT:- NORTH

PROPOSED PLAN OF COMMERCIAL PLAT
NO. 1510-2 AT PRATAP NAGAR,
BANGALORE, JAPUR

ARCHITECTS:-
V.J. ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS
10/14/2015-10/14/2015 10/14/2015 10/14/2015
BANGALORE, JAPUR
TEL: (0844) 2700011, 2700012, 2700013 (0844) 2700014

ARCHITECTS
Verma
25/12/23
V.J. ARCHITECTS
B-Arch. (Hons.) M.A. (Urban Design)
CA/2000/20735

OWNER

For SANKALP INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

Sangeeta
25/12/23
Director

“कभी किये गये अनुसंधित मानचित्र में दाहिने गये जलन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दाहिना प्राची का ही होगा।”

अ. ८. इस कार्यविधि का अनुमोदन किसी भी शक्ति सम्पन्न मुनि/पूज्य के द्वारा स्वामिन् के सम्मान पर-सही मान जायेगा और सभी इसकी किसी के स्वामिन् सम्पत्ती अधिकारी की स्वीकृति होगी।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

अवधारी बस 15 मीटर से अधिक लंबाई होने से कारण 45 मीटर से अधिक लंबाई का निर्माण शुरू करने से पूर्व बुला अवधि तथा अधिकारी वस्तु गजर नियम से अवधारी बस का पत्र (NOC) लेना होगा तथा अवधारी बस का कार्यालय से अवधारी बस का पत्र (NOC) वस्तु की लंबाई अधिकारी होने। अथवा 45 मीटर की 15 मीटर लंबाई तक की लंबाई होगी।

Hasnand
 5/6/23
 नहायक नगर नियोजक
 राजस्थान आवासन मण्डल
 जयपुर
 3/10/23
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
 राजस्थान आवासन मण्डल
 जयपुर

2nd BASEMENT FLOOR

SCALE: 1 = 100	DATE: 29-07-2020
----------------	------------------

PROJECT:-	NORTH
PROPOSED PLAN OF COMMERCIAL PLOT NO. 35/50-3 AT PRATAP NAGAR, SANGAREM, JALPUR	

ARCHITECTS:
V J ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS WORKS/85, INTERIOR DESIGNERS
55, SQUARE 42/24, HIDEHOOC PETROL PUMP
RAJAKKARI MARUAMPLE
TEL: 011-2740007, 2740008, TELEFAX: 011-2740008

ARCHITECTS

Vikas Jain
Consulting Architect
VIKAS JAIN
B-Arch (Hons.), M.A. (Urban Design)
GAG000026735

OWNER
FOR SANKALP INFRASTRUCTURE PVT. LTD.
Sandeep Jain
Director

“कहरी जिंदगे गये अनुसंधित मानचित्र
में दर्शाये गये मान निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रत्येक
का ही होगा।”

इस कार्यवाही का अनुमोदन किया भी नहीं प्रमाणित हुई। भुवनेश्वर के जेल परामर्श का प्रमाण पत्र-पत्री भालू चामरा और गरी इन्होंने किया के परामर्श समझी अधिकांश ही प्रमाणित होये।

पसीरा ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया गया है।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

अवकाश बन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने से काल 15 मीटर से अधिक बरिसों में निर्माण शुरू करने से पूर्व गुप्त अतिरिक्त प्रत्यक्ष अवकाश प्रारंभ करने से अवकाश बन पर (MOC) लेना होगा तथा अवकाश बनने तक अवकाश से अवकाश प्रारंभ पर (MOC) प्रत्यक्ष की जाये अवकाश होगी। अन्त्य पर अवकाश 15 मीटर ऊँचाई तक ही होगा होगी।

Maskeen
5/6/23
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

डा. अमर ए. ए. ए. २३
अतिरिक्त मुख्य नगर निवासेक
राजस्थान अकादमी, मण्डल
जयपुर

यह मानवित्व परा सं० 128
दि० 05/6/23 को द्वारा जारी किया गया।

— 276 —

“जारी किये गये अनुसंधान मानसिक में दर्शाते गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रारंभ का ही होता।”

हम भारतीय का अनुप्रेषण किन्हीं भी व्यक्ति या संस्था को 'सुप्रीम' के प्रति सम्पत्ति का प्रयोग करने-गर्ह्य माना जायेगा और नही इससे किन्हीं के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में प्रभावित होंगे।

सीर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमावलीसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

परावर्तित कण 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने से कारण 15 मीटर से अधिक गींसीले पर विद्यमान भूक कणों से पूर्व मुक्त अतिरिक्त कण अतिरिक्त पदचुर परत विद्यमान से अत्यधिक दायन या (NOC) लेना होना तथा अत्यन्त लघुतराव कणोंसे से अत्यधिक दायन या (NOC) प्रत्युत को जल्दी अतिरिक्त होयी। अतः यह लघुतराव 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होयी।

Hasnain
5/6/23

31/08/23
विशेषतः मुख्य नगर निदेशक

यह मानवित्व परीक्षा सं. 128
दि. 05/6/23 के द्वारा जारी किये गये।

dy. _____ Director

114

SHEET NO. - 07

TITLE:-

1st to 2nd FLOOR PLAN

परिचित क्षेत्र का उपयोग केवल
करियर हेतु किया जायेगा।

*जहाँ किये गये अनुसूचित मानचित्र
नं. दर्शाते गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति
का ही होगा।*

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

आवश्यक रूप से विलक्षण परिस्थितियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
निम्नानुसार किया जाये।

इस मानचित्र का अनुसूचित किये की भू-
विज्ञान प्रति/प्लान के प्रति व्यवहार का
प्रमाण प्रदान नहीं किया जायेगा और यदि
इसमें किसी के व्यवहार सम्बन्धी अधिकारी
की परामर्श होगी।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
आवश्यकता अनुसार प्रावधान कि -

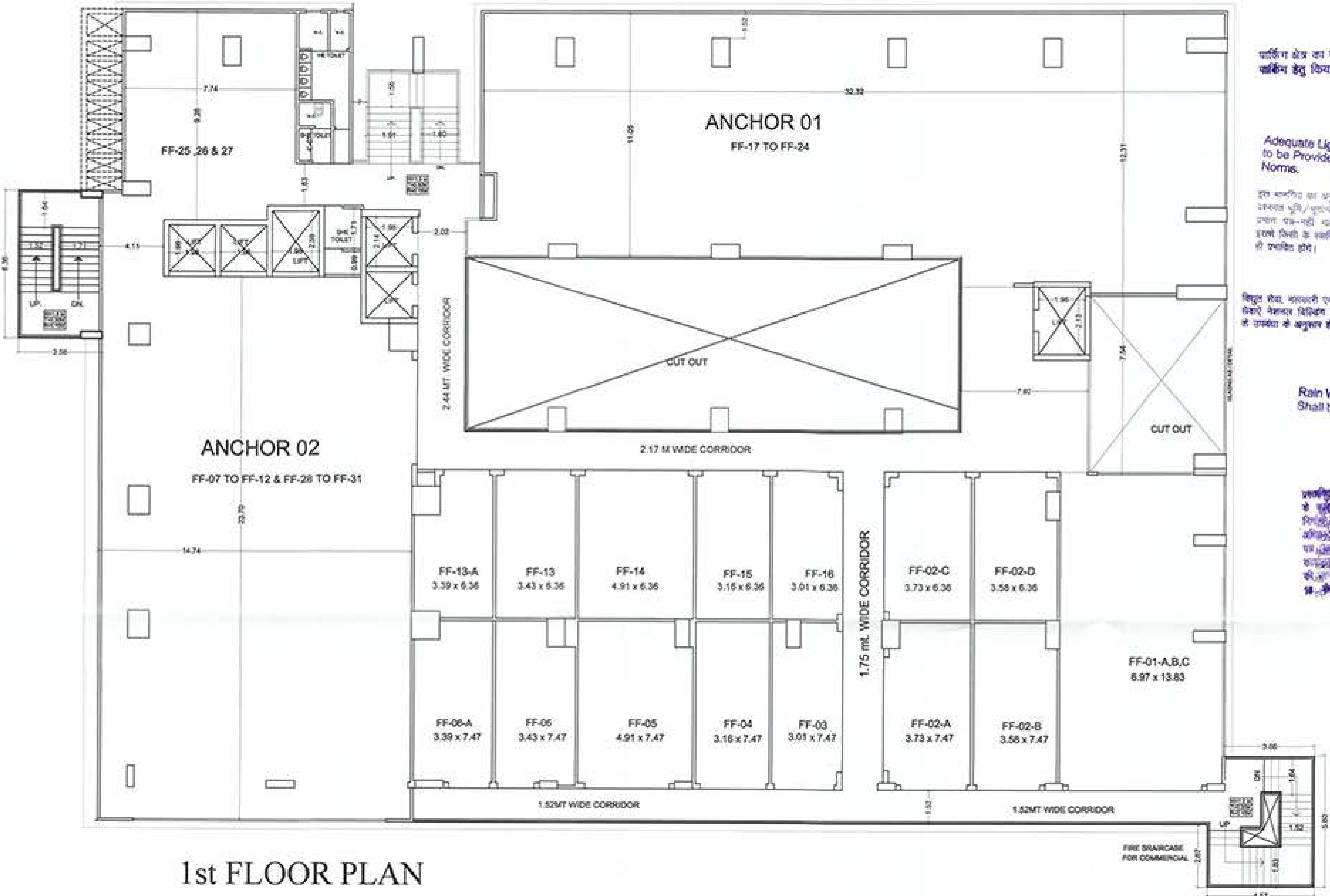
विद्युत सेवा, भावनाएं एवं चाल, चाल विद्युत
के लिए मेकानिकल विद्युत और इलेक्ट्रिक
के उपकरण से अनुसूचित होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

अनुसूचित क्षेत्र का उपयोग केवल
करियर हेतु किया जायेगा।

*जहाँ किये गये अनुसूचित मानचित्र
नं. दर्शाते गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति
का ही होगा।*

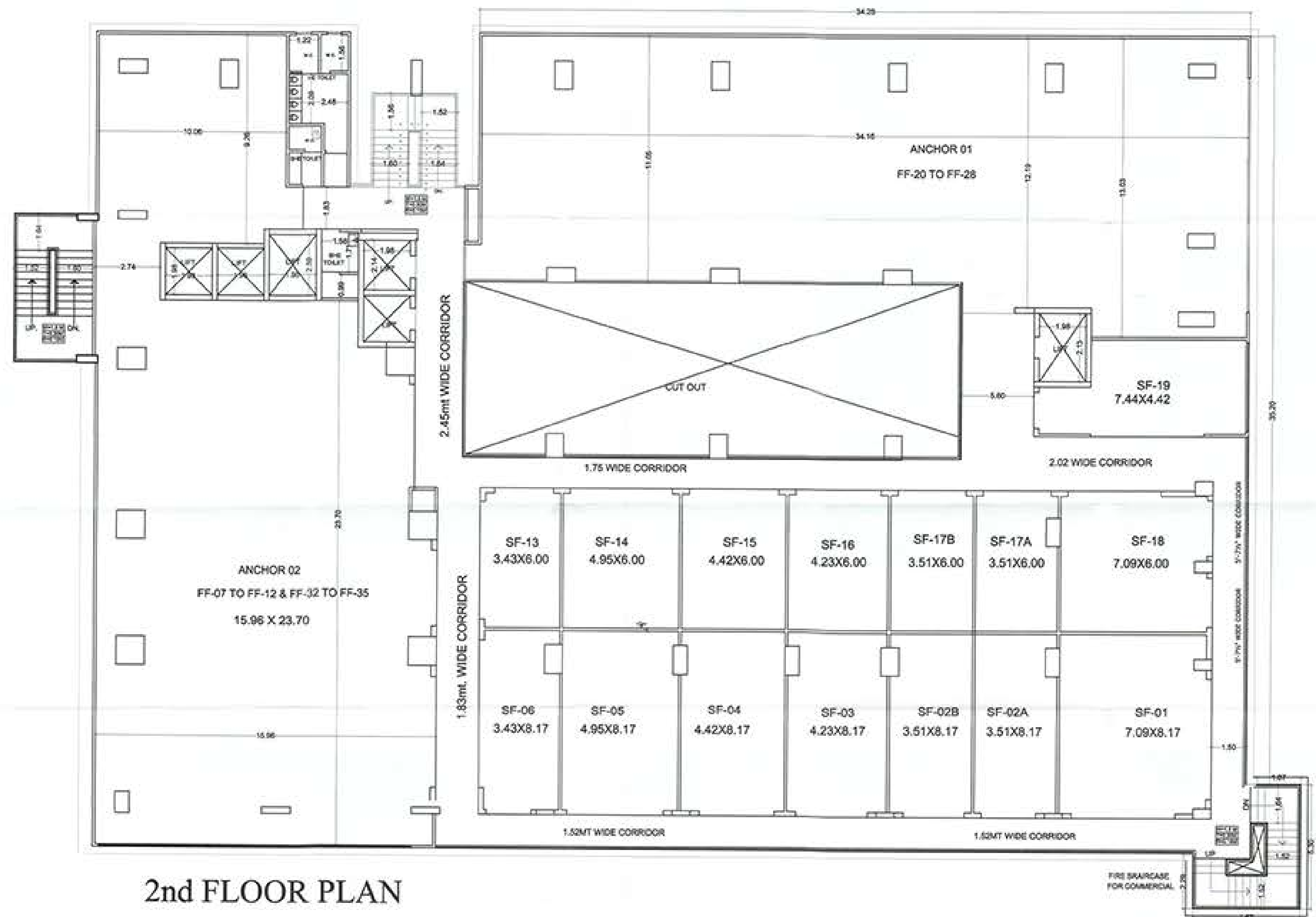


1st FLOOR PLAN

5/11/23
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान अधिराज्य मण्डल
जयपुर

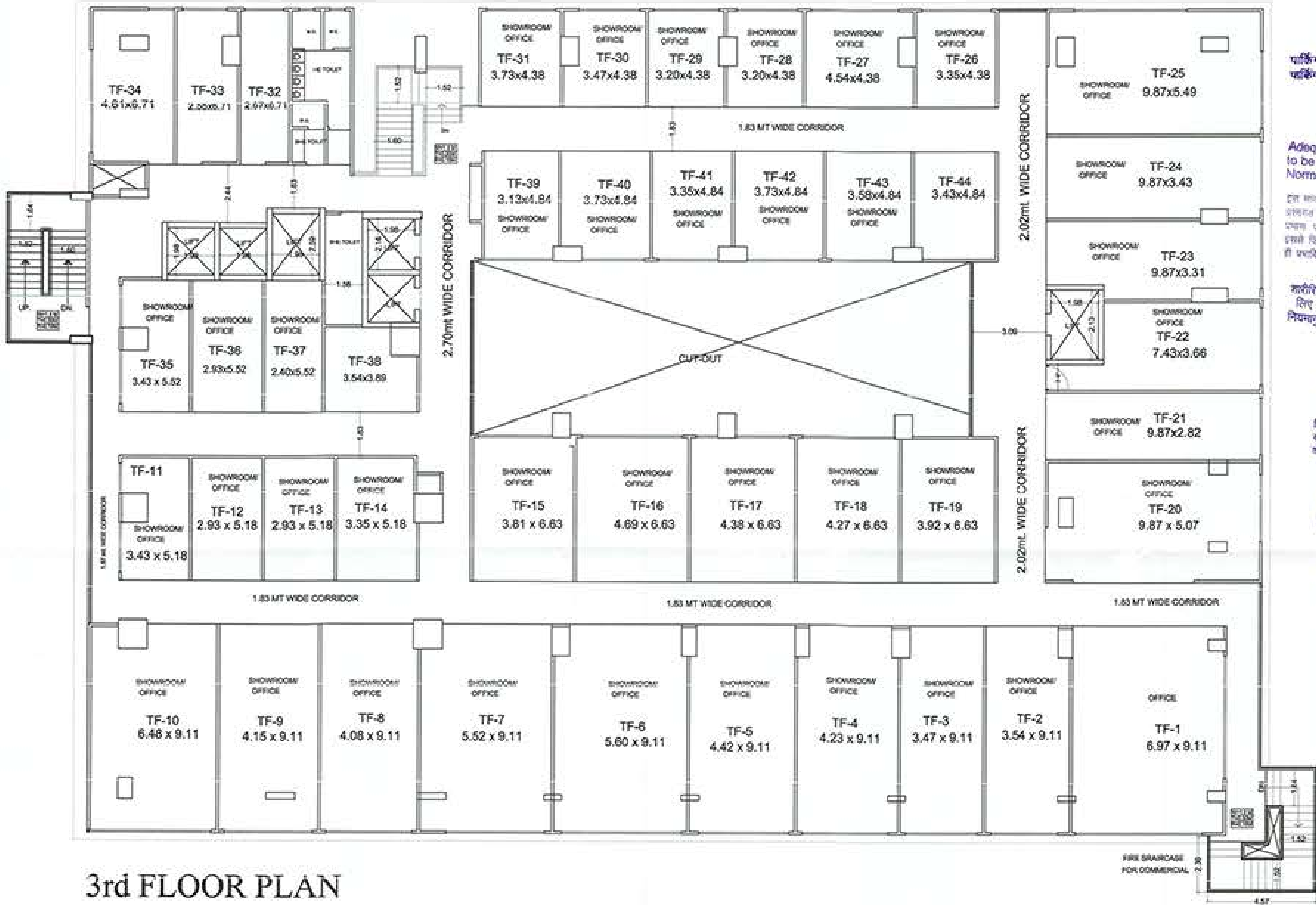
5/11/23
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान अधिराज्य मण्डल
जयपुर

पर भवन का नं. 128
Rec. 05/11/23 के द्वारा जारी किया गया।



2nd FLOOR PLAN

1st to 2nd FLOOR PLAN		
SCALE: 1:100	DATE: 05/11/2023	
PROJECT:-		
PROPOSED PLAN OF COMMERCIAL PLOT NO. 10/1/2/3 AT RAJAPUR, JALPAIGURI, WEST BENGAL		
ARCHITECT:-		
V. J. ARCHITECTS PVT. LTD. ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS VIRGO BUILDING, 10/1/2/3, RAJAPUR, JALPAIGURI, WEST BENGAL INDIA		
ARCHITECTS		
V. J. ARCHITECTS PVT. LTD. B-Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design) CA/2000/26735		
OWNER:-		
The RAJAPUR INDUSTRIES PVT. LTD.		



3rd FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल कारों के लिए किया जाएगा। "जहाँ जिनके गेटे अनुमोदित मानचित्र में दर्शाए गए हैं उनके निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का सही ढंग से बनाया जाना चाहिए।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस परियोजना के अनुमोदित चित्रों में जहाँ आवश्यक है, वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा और यह इसकी जाँच के लिए संबंधित प्राधिकारों को सौंपा जाएगा।

सर्वोच्च रूप से शिक्षित व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रबंधन नियमानुसार किया जाये।

गौर कर्मों से पानी निकास करने का नियमानुसार प्रबंधन किया जाये।

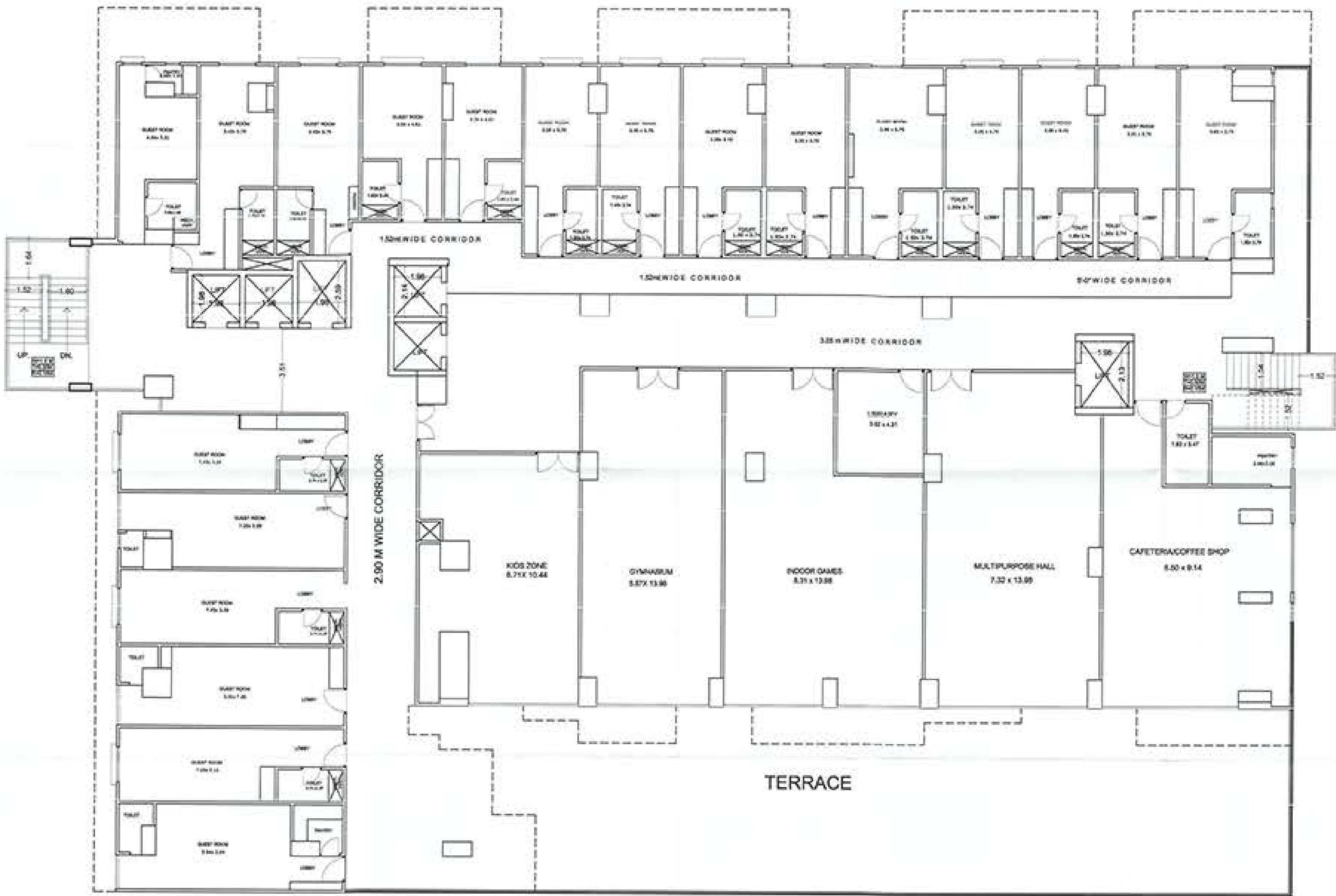
विद्युत तार, वायरलेस एवं अन्य गैर निवास सेवाएं केवल निवास क्षेत्रों और इकाइयों के अंदर ही अनुमोदित होंगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

प्रकटित करने 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मीटरों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व प्रकटित करने के लिए आवश्यक रूप से अनुमोदित प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा अन्यथा निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त की जायेगी अन्यथा निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित



FOURTH FLOOR PLAN

Handwritten signature
5/6/23
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मंत्रालय
जयपुर

Handwritten signature
5/6/23
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मंत्रालय
जयपुर

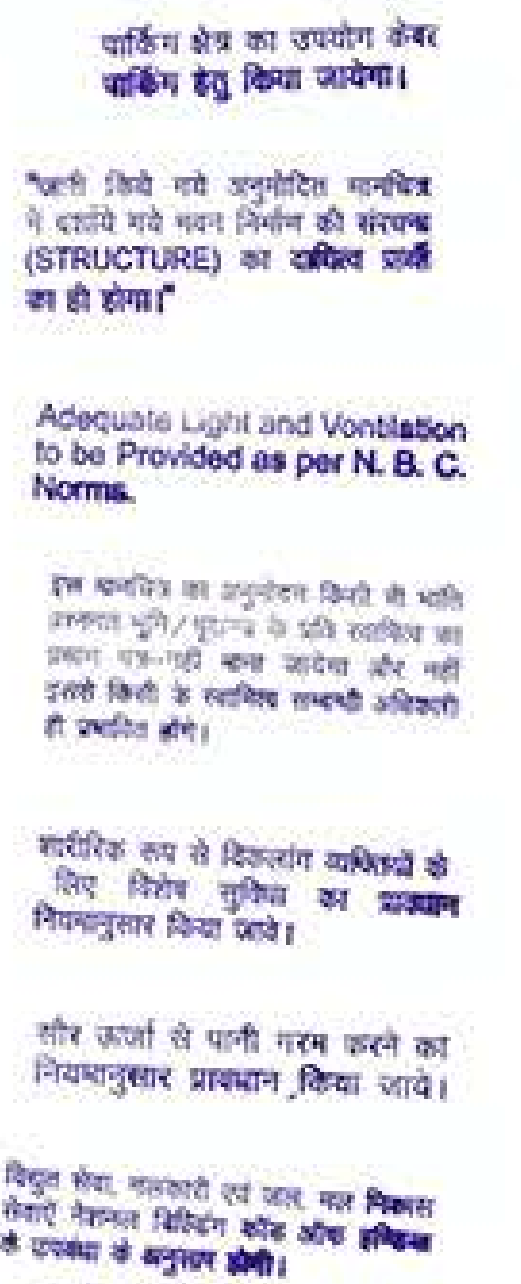
यह मानचित्र पत्र सं. 128
Rera/2023 के द्वारा जारी किया गया है।

3RD & 4TH FLOOR PLAN	
SCALE:- 1" = 10'	DATE:- 29-05-2023
PROJECT:- PROPOSED PLAN OF COMMERCIAL, PLANT NO. 2010/3 AT PRAKASH NAGAR, BANGALORE, KARNATAKA	NORTH N
ARCHITECTS:- V. J. ARCHITECTS PVT. LTD. ARCHITECTS ENCLOSED INTERIOR DRAWINGS 11 HOUZAR/CLUB BUILDING KOT PATEL PUSHP MUMBAI, MAHARASHTRA MOB: 98200 00000, 98200 00000, 98200 00000	
ARCHITECT:- <i>Handwritten signature</i> Consulting Architect VIKAS JAIN B-Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design) CA/2000/26735	
OWNERS: For SANKALP INFRAHEIGHTS PVT. LTD. <i>Handwritten signature</i> Director	

संशोधित मानचित्र अनुमोदित



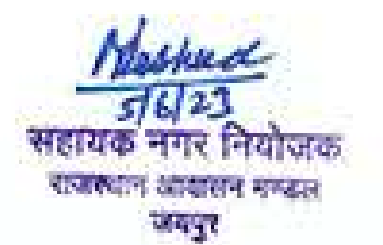
George Jais
Director



Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

[illegible]

संशोधित मानचित्र अनुमोदित



अभिमान-पत्र 23
अभिमान-पत्र 23
अभिमान-पत्र 23
अभिमान-पत्र 23

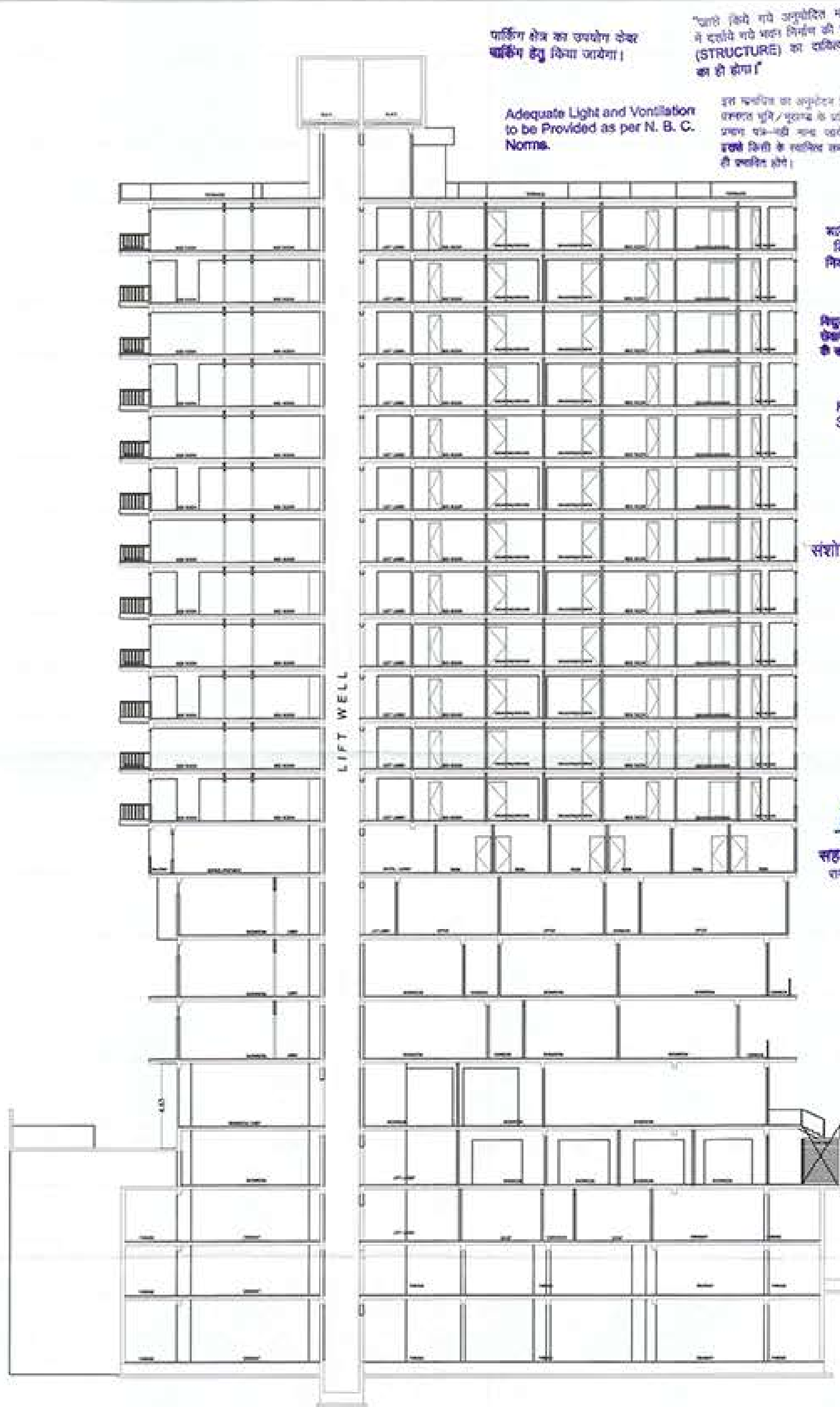
પ્રશ્ન સંખ્યા: 128
વિ. 05/02/23

TERRACE FLOOR PLAN

16 th & TERRACE FLOOR PLAN	
SCALE: 1 = 100	DATE: 26-05-2023
PROJECT:	NORTH
PROPOSED PLAN OF COMMERCIAL PLOT NO. 39/02 AT PEATAP AGAR, BANARSI JYOTHI	
ARCHITECTS:- V J ARCHITECTS PVT. LTD. ARCHITECTS SHOWROOM INTERIOR DESIGNER N 50/64-A/11, CHANDRA NAGAR, PUNJ BANKER MULLA LUDH TEL: 0541 274607 274608, TEL/FAX: 0541 274609	
ARCHITECTS:   VIKAS JAIN Director (Hons.), M.A. (Urban Design) CA/2000/26735	
DRONE For SANKALP INFRAHEIGHTS PVT. LTD.  Director	



SECTION A-A



SECTION B-B

पर्याप्त रोशनी का व्यवस्थापन केन्द्र
प्रदान किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

"जहाँ कहीं गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दृष्टिकोण प्रमाण
का हो होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदित मानचित्र की भाँति
कमलपुर गाँव/पंचायत के ग्रामीण विकास
कार्य-समिति या अन्य प्राधिकरण और नगरी
इकाई विभाग के अधिकारी सम्बन्धी अधिकारी
की स्वीकृति होगी।

भूतल स्तर से विकसित प्रकृतियों के
लिए विशेष ध्यान का प्रदान
नियमानुसार किया जाये।

विद्युत सेवा, नगरपाली एवं अन्य सेवा विभाग
के माध्यम से निर्धारित षॉट और डीप
की जाँच के अनुरूप होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

अवधि कम 15 मीटर से अधिक होना
के साथ 15 मीटर से अधिक चौड़ाई
की आवश्यकता होगी।
अधिकतम 100 मीटर से अधिक चौड़ाई
का (100) मीटर होना चाहिए।
अधिकतम 15 मीटर से अधिक चौड़ाई
की जाँच की जायेगी।
15 मीटर से अधिक चौड़ाई की जाँच की जायेगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

Handwritten signature

सहायक नगर निरीक्षक
राजस्थान आवासन मन्त्रालय
जयपुर

अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार
राजस्थान आवासन मन्त्रालय
जयपुर

SECTION

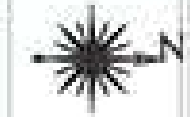
SCALE: 1/4" = 1'-0"

DATE: 05-04-2022

PROJECT:-

NORTH

PROPOSED PLAN OF COMMERCIAL PLOT
NO. 11/1/2 AT PRATAP NAGAR,
BANGANUR, JAMNUR



ARCHITECTS:-

V J ARCHITECTS PVT. LTD.
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS
V J SQUARES-12/13, ANAND SOC PETROL PUMP
SAURABH MARG, JAMNUR
TEL: (0641) 2540017, 2540008/9, TELEFAX: (0641) 2540009

ARCHITECTS

Consulting Architect
VIRAS JAIN
B.A.M. (Urban Design)
CA/2000/26735

OWNER

For SANKALP ESTIMATES PVT. LTD.

Handwritten signature

सह-आयोजक पत्र नं. 128
विभागाध्यक्ष के द्वारा जारी किया गया है।

“जारी किए गए अनुसंधान मानचित्र में दर्शाते हैं कि मूल निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दक्षिण प्रायद्वीप का ही होगा।”

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस समिति का अनुमोदन किसी भी न
नमता सूची/सूचक के प्रति समिति
प्रकार का-परीक्षा का आयोजन और
इससे किसी के समिति सम्बन्धी अधिकार
ही प्रभावित होवे।

सांख्यिक तथ्य से विकसित व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रबंधन नियन्त्रित किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का विद्यमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नालकरी एवं पात्र, मल निष्कास
सेवाएं निम्नानुसार विनियमन कौट शुल्क इन्विज
के अधीन ही उपलब्ध होती।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रशिक्षण कक्ष 10 मीटर से अधिक चौड़ाई होने के समान 15 मीटर से अधिक गतिशील पर प्रमाणित मुक्त करने में पूर्व मुख्य अग्नि प्रमाण गतिशील प्रकृत रूप निम्न से अवधारणा प्रमाण पत्र (MOC) सेवा होता तथा आवश्यक उपकरण आवेदन में अवधारणा प्रमाण पत्र (MOC) प्रस्तुत की जाती अतिरिक्त होती। अथवा एक गतिशील 15 मीटर चौड़ाई होना ही मान्य होती।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

Master
5/6/23
महायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନାମ: ଅନିଲ କୁମାର
 ପଦବୀ: ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ
 ଠିକଣା: ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ
 ଠିକଣା: ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ

LEFT SIDE ELEVATION	
SCALE: 1:100	DATE: 24-06-2013
PROJECT:	NORTH 
PROPOSED PLAN OF COMMERCIAL PLANT AND STORAGE OF THE PROJECT (SHEET NO. 01)	
ARCHITECTS: VJ ARCHITECTS PVT. LTD. ARCHITECTS/ENGINEERS/ARTISTS/DESIGNERS IN REGULAR COLLABORATION WITH THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS TEL: 011-26109677, 011-26109678, 011-26109679	

Consulting Architect
VIKAS JAIN
B.Tech. (Hons.) M.A. (Urban Design)
CA2900028735

George Tair

સરનામું નંબર: 128
 તિ: 05/01/23 ને પ્રતિ જાહેર કરવામાં આવે છે.

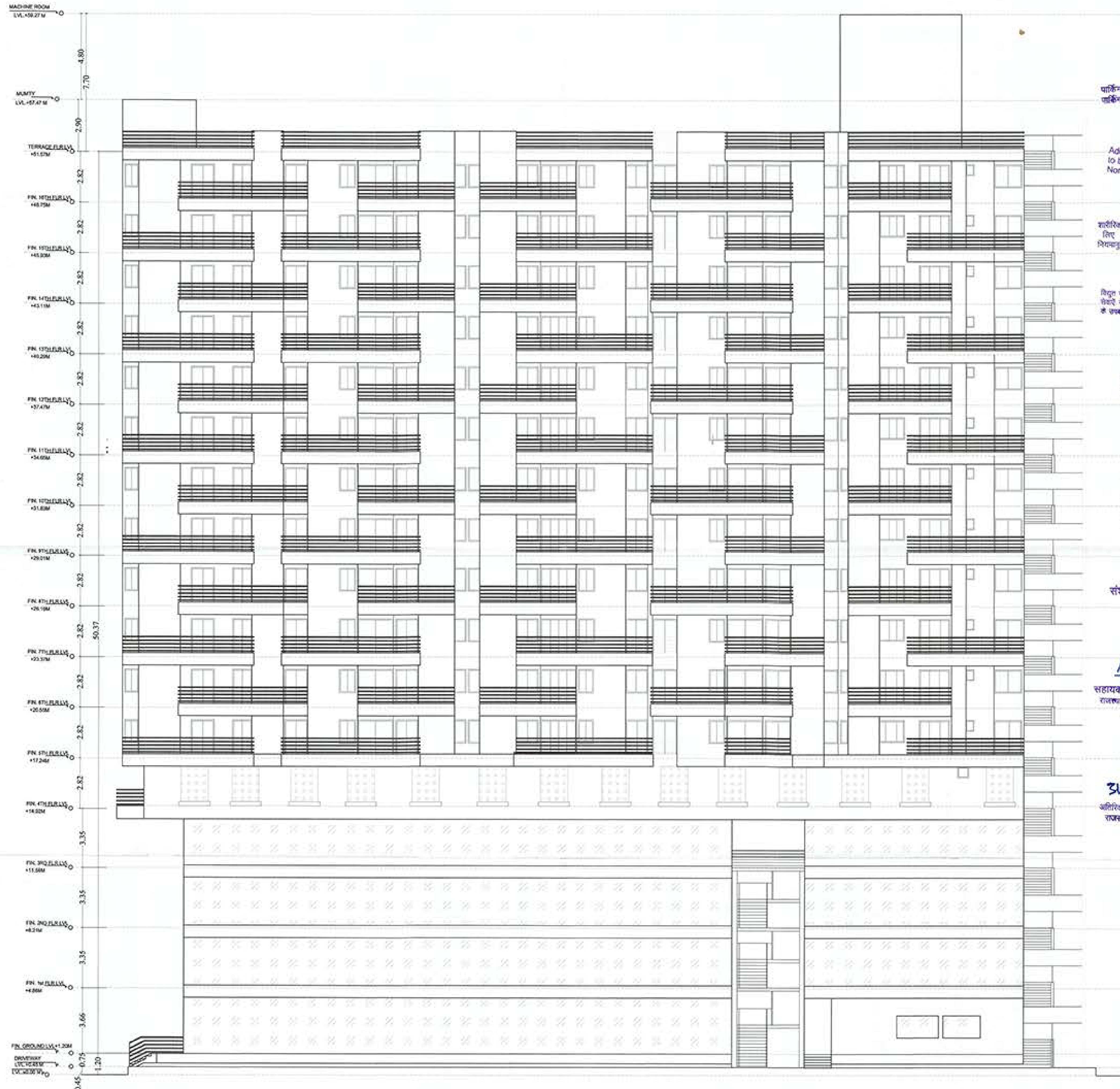
LEFT SIDE ELEVATION

संशोधित मानचित्र अनमोदित



For SANKALP INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
Surya Jain
Director

यह मानवित्व परीक्षा सं० 128
दि० 25/12/23 के द्वारा जारी किया गया।



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
उद्देश्य हेतु किया जाएगा।

करीब दिये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दक्षिण प्राचीन
का ही होगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन (किसी भी प्राचीन
संरचना पुनः/पुनः के प्रति संरचना का
प्रमाण पत्र-पत्र) काया प्रदर्शन और यदि
इसके बिना के संरचना संरचना अधिकारी
को प्रस्तुत होगी।

संशोधित रूप से दिखाना व्यक्तियों के
लिए विशेष शुल्क का प्रमाण
प्रमाणपत्र दिया जाये।

सौर प्रकाश से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, फायरिंग एवं अन्य सेवा दिखाना
केवल केवल दिखाना और अन्य दिखाना
के प्रमाण से अनुमोदित होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित पत्र 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के
निर्माण शुरू करने से पूर्व शुद्ध और शुद्ध
अधिकारी को प्रमाण पत्र दिखाना प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा अलग अलग
अलग अलग अलग अलग अलग अलग अलग
की पत्र दिखाना होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

Handwritten Signature
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

Handwritten Signature
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

REAR SIDE ELEVATION

SCALE: 1"=10' DATE: 28-05-2021

PROJECT:- NORTH :

PROPOSED PLAN OF COMMONS, PLAT NO. 20/2012 AT PRAJAPATI NAGAR, BANGALORE, JALPURI

ARCHITECTS:-

V. J. ARCHITECTS PVT. LTD.

ARCHITECTS ENGINEERS INTERIOR DESIGNERS

11, KUMAR GATE, 2ND FLOOR, 100 PERSOL, POND

BANGALORE, KARNATAKA

TEL: (081) 2500 1100, TEL: (081) 2500 1100

ARCHITECTS

Handwritten Signature

VIRAS JAIN

B-Arch. (Hons.), M.A. (Urban Design)

CA/2000/26735

OWNER

Handwritten Signature

Director

REAR SIDE ELEVATION

यह मानचित्र पत्र संख्या 128
28/05/2021 के द्वारा जारी किया गया है।